

# जंगल में युवक का शव मिला, ग्रामीणों ने जाम लगाया

## मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाये

मालपुरा, (निसं)। डोडारायसिंह कस्बे से बीसलपुर रोड पर लाडपुरा बालाजी के पास जंगल में मंगलवार को सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक के परिजन व समाज के लोगों के साथ जाम लगा प्रदर्शन किया।

जानकारी के अनुसार डोडारायसिंह कस्बा निवासी अंकुश चौबी पुत्र नाथू लाल चौबी जो कि सोमवार की शाम से घर से लापता था, परिजन तलाश कर रहे थे। मंगलवार को सवेरे थाना पुलिस को लाडपुरा बालाजी के पास जंगल में एक लावारिस शव पड़ा होने की मिली सूचना पर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे व मामले को उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया।



डोडारायसिंह में युवक की हत्या के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया।

मृतक के परिजनों व समाज के लोगों के साथ जाम लगा प्रदर्शन शुरू कर दिया।

जाम व प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे एसडीएम नेहा मिश्रा, एएसपी निरंजन आर्य, डीएसपी संजय सिंह

केकडी ने परिजनों व ग्रामीणों से समझाझप कर जल्द मामले का खुलासा करने का विश्वास दिलाया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से परिजनों की हुई बातों में प्रशासन ने एक संदिग्ध को डिटेन करने की

जानकारी दी तथा 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी के दिये जाने के आवासन के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम करवा शव सुपुर्द लिया।

## तीन जनों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप

सुरतगढ़, (निसं)। मां-बाप को इसी बात की चिंता रहती है, विशेषकर लड़कियों के बारे में कि कहीं ऊंच नीच न हो जाए। नाबालिग लड़की के गर्भवती होने पर पीड़ित अभिभावकों के पैरों के तले से जर्मी खिसक गई। अभिभावक ने जब पूछा तो नाबालिग लड़की ने आप बीती सुनाई। अब पीड़ित मां ने तीन युवकों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामला सुरतगढ़ कस्बे का बताया जा रहा है। जिसमें पीड़ित मां ने पीड़िता की सहेली के घर पर नशीला पदार्थ पिलाकर पीड़िता से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अश्लील वीडियो वायरल कर देने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई।

## एक लाख का गांजा जब्त

टोंक, (निसं)। पीपलू वृत्ताधिकारी इंद्र लोदी व थानाधिकारी बरौनी ओमप्रकाश के सुपरविजन में गडित टीम ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के गांव नटवाड़ा के निवासी केदार जाट पुत्र नारायण जाट निवासी नटवाड़ा के मकान में दबिश देकर, अवैध मादक पदार्थ 2 किलोग्राम गांजा जप्त कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में अभियोग दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा जप्त किये गांजे की कीमत 1 लाख रुपये आंकी गई है।

# मुआवजे की मांग को लेकर एम.जी. हॉस्पिटल में हंगामा

## स्टेयरिंग फेल होने की वजह से खाई में पलटी बस में एक महिला और युवक की मौत हो गई थी



परिजनों ने एमजी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया।

धीलवाड़ा, (निसं)। जिले के कोटडी थाना इलाके के सातोला का खेड़ा गांव में स्टेयरिंग फेल होने की वजह से मंगलवार को सुबह खाई में पलटी बस में एक महिला और युवक की मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजन और समाज के लोगों ने एमजी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर जमकर

हंगामा किया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह मेवात ट्रेवल्स की बस सातोला का खेड़ा के निकट पहुंची थी कि इस दौरान चालक ने सड़क पर गड्डे को बचाने के लिए कट मार तभी स्टेयरिंग फेल होने की वजह से बस सड़क से उतरकर खाई में पलट गई हादसे में 15 लोग गंभीर घायल हुए जिसमें दो

यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में शामिल रोपा, पारोली की रहने वाली ग्यारसी देवी पत्नी शंकर लाल के परिजनों ने एमजी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया खबर लिखे जाने तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में समझाझप इसका दूर जारी था।

# तस्करी के तीन दोषियों को सजा सुनाई

## दस-दस साल के कारावास और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया

हनुमानगढ़, (निसं)। नशीली दवा तस्करी के मामले में कोर्ट ने फौजदारी सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। विशेष जज एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने नशीली दवा तस्करी के मामले में फौजदारी सुनाते हुए 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

अभियोजन पत्र की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 12 दिसम्बर 2021 को हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी ने नाकाबंदी के दौरान एसटीजी नहर पर एक लड़के

## कोडिन फास्फेट की 90 शीशियों बरामद की थी

को रोक कर उसके में हाथ में लिए सफेद रंग के प्लास्टिक के थैले को चैक किया तो उसमें 90 शीशियां कोडिन फास्फेट कफ सिरप की मिली, जो एनडीपीएस घटक की होनी पाई गई। नाम-पता पूछा तो युवक ने अपना नाम शिफतुला उर्फ इमरान उर्फ लाला पुत्र इशाक अली निवासी पुर्णकित स्कूल के पास, वार्ड 4, नई खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन बताया। शिफतुला के पास कोई लाइसेंस इत्यादि नहीं होने से उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

गोलूवाला पुलिस थाना की ओर से प्रकरण में अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में कृष्ण लाल एवं रामकुमार की ओर से शिफतुला के साथ मिलकर

नशीली दवाइयां दिल्ली से खरीद कर लाना पाया गया। तीनों आरोपियों का आराधक षडयंत्र अनुसंधान में साबित हुआ। इसके संबंध में तीनों आरोपियों की आपस में हुई मोबाइल पर बातों के संबंध में संबंधित कंपनी से रिकॉर्ड प्राप्त कर पत्रावली के साथ पेश किया गया। अनुसंधान बाद शिफतुला उर्फ इमरान उर्फ लाला पुत्र इशाक अली के खिलाफ जुर्म धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट और रामकुमार उर्फ रामू उर्फ दिलीप पुत्र पूर्णपाल गंभीर निवासी केदना, पोस्ट बलहा, पीएस सुपोल बिहार हाल किराएदार शांती पार्क, दिल्ली एवं कृष्ण लाल पुत्र भागीरथ मेघवाल निवासी वार्ड 6, पक्का भाववा, पीएस सदर हनुमानगढ़ के खिलाफ जुर्म धारा 8/22, 29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पत्र की ओर से कुल

8 गवाह पेश किए गए। सुनवाई के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार की ओर से शिफतुला उर्फ इमरान लाला, रामकुमार उर्फ रामू एवं कृष्ण लाल को बिना लाइसेंस के अवैध नशीली दवाइयां अपने कब्जे में रखने बाबत धारा 8/22, 29 एनडीपीएस एक्ट में दोषी सिद्ध किया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात विशेष जज एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने शिफतुला उर्फ इमरान उर्फ लाला, रामकुमार उर्फ रामू एवं कृष्ण लाल को धारा 8/22, 29 एनडीपीएस एक्ट में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई।

# चैक अनादरण प्रकरण में एक वर्ष की सजा सुनाई

जोधपुर, (कासं)। विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) संख्या 04, जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट सुमान चौधरी द्वारा गणेश गहलोट बनाम महेन्द्र सिंह गहलोट के प्रकरण में अभियुक्त महेन्द्र सिंह गहलोट को अलग-अलग पांच प्रकरणों में एक वर्ष की सजा व कुल ग्यारह लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। परिवादी की ओर से पीडी दवे, बालकिशन भादू, रूचि परिहार ने पैरवी की।

परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवार प्रस्तुत कर बताया कि महेन्द्र सिंह गहलोट द्वारा ऋण चुकाने, घरेलू व व्यापारिक आवश्यकता त्नाकर रुपये मांगे के 8. 80 लाख रुपए नगद प्रदान किए, इस संदर्भ में एक एग्सीमेन्ट भी दोनों पक्षों के बीच लिखा गया। इस संदर्भ में कुल पांच चैक परिवादी को दिये गए जो तय समय पर रूप न देने

## जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट ने ग्यारह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

पर बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गए। इसके पश्चात् विधिवत नोटिस देने पर भी भुगतान न करने पर न्यायालय के समक्ष अलग-अलग कुल पांच प्रकरण प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा अलग-अलग प्रकरणों सुनवाई कर महेन्द्र सिंह गहलोट को 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम में एक वर्ष का साधारण कारावास तथा ग्यारह लाख रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश पारित किया। साथ ही अदम अदायगी जुर्माना में तीन माह का साधारण कारावास भी अलग से भुगतने का आदेश पारित किया है।

# विधायक जाहिदा खान का पुतला फूँका

जुरहरा, (निसं)। कस्बे में मंगलवार को जिला पार्षद प्रतिनिधि खुशींद अहमद के नेतृत्व में लोगों ने कामां विधायक जाहिदा खान का विरोध जताते हुए उनका पुतला फूँका गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने जाहिदा खान को

## जाहिदा खान को कांग्रेस का टिकट दिए जाने का विरोध

कांग्रेस का टिकट दिए जाने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। कस्बे के बस स्टैंड पर मंगलवार की दोपहर को जिला पार्षद प्रतिनिधि खुशींद अहमद के नेतृत्व में काफी संख्या में एकत्रित हुए लोगों ने कामां विधायक जाहिदा खान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनका पुतला फूँका गया। जिला पार्षद प्रतिनिधि खुशींद अहमद ने बताया कि वे आलाकमान तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं



जुरहरा कस्बे में लोगों ने कामां विधायक जाहिदा खान का पुतला फूँका।

कि कामां से जाहिदा खान को टिकट नहीं दिया जाए और यदि उन्हें कांग्रेस

का टिकट दिया जाता है तो इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता

है इस दौरान काफी संख्या में लोग एकत्रित थे।

# 'कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल किया'

पोकरण, (निसं)। भारतीय जनता पार्टी सांसद राज्यसभा (मनोनीत) ई. गुलाम अली ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

भाजपा मिडिया प्रभारी भोमराज माली ने बताया कि भाजपा उम्मीदवार महंत प्रतापपुरी के लिए प्रचार करने के लिए पोकरण विधानसभा क्षेत्र के भणियाणा, जीयासर, भीखोवाई, फलसुंड, पदमपुरा और बांधेवा क्षेत्रों के दौरे में सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से विभाजनकारी रणनीति अपनाई है, जो पहचान की राजनीति के इर्द-गिर्द घूमती है। अल्पसंख्यक समुदायों से वोट हासिल करने के लिए उन्होंने कहा कि अब इस वास्तविकता को स्वीकार करने का समय आ गया है कि कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक दलों ने अक्सर

अपने चुनावी लाभ के लिए अल्पसंख्यक समुदायों की भावनाओं और आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया है। वोट बैंक की राजनीति के इस रूप ने भले ही चोट हासिल कर लिए हो, लेकिन इसने वास्तव में इन समुदायों की चिंताओं और आकांक्षाओं को संबोधित नहीं किया है।

गुलाम अली ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब वंचित लोगों और पिछड़े क्षेत्रों के उद्धान पर विशेष ध्यान देते हुए दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। सड़क बुनियादी ढांचे, व्यापार के अवसर, स्वास्थ्य सेवा, सड़क, रेलवे और अन्य क्षेत्रों में पूर्ण परिवर्तन देखा गया है। भारत सरकार ने 82 करोड़ आत्मार्थों को मुफ्त राशन प्रदान किया है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप जैसे नए और अभिनव विचारों को पेश किया है, सोमार्थ सुरक्षित हुई है और भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हुआ है।

# 15 लाख की नगदी और आठ किलो चांदी जब्त

जैसलमेर, (नि.सं.)। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार नाकाबंदी कर अपराधियों को धरपकड़ और अवैध राशि व सामान जब्त कर रही है। जैसलमेर के नाचना थाना और पोकरण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 15 लाख रुपए और 8 किलो 330 ग्राम चांदी बरामद की है। अलग-अलग जगह कार्रवाई में निजी बसों और निजी गाड़ियों की जांच की गई। नगदी और अन्य सामान को जब्त किया गया। एफएसटी टीम और आयकर विभाग नगदी आदि के कागजों की जांच करेगा।

जैसलमेर एएसपी विकास सांगवान ने बताया कि नाचना थाना पुलिस व एफएसटी टीम ने अवाय गांव के पास बीकानेर रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 13 लाख 5 हजार 300 रुपए बरामद किए हैं। थानाधिकारी अजीत सिंह चंपावत के नेतृत्व में पुलिस व एफएसटी टीम के साथ नाकाबंदी कर गाड़ियों की जांच की जा रही थी। इस दौरान बीकानेर की

## नाचना थाना पुलिस व एफएसटी टीम ने अवाय गांव के पास नाकाबंदी में कार्रवाई की

## अलग-अलग जगह निजी बसों और निजी गाड़ियों की जांच में कार्रवाई की

तरफ से आ रही एक एसयूवी को रुकवाकर तलाशी ली गई। जिसमें 13 लाख 5 हजार 300 रुपए मिले। युवक से पूछताछ करने पर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। नकदी और गाड़ी को जब्त किया गया। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि पोकरण थाना इलाके में कार्रवाई कर करीब 2.7 लाख रुपए और 8 किलो 330 ग्राम चांदी को पकड़ा है। थानाधिकारी दिनेश लखावत के नेतृत्व में लवां गांव के पास चैक पोस्ट लगाई

गई है। यहां वाहनों की जांच करने के साथ संदिग्ध गतिविधि, व्यक्ति, वाहनों पर नजर रखी जा रही है। नाकाबंदी के दौरान एक बस में सवार बाड़मेर के मंडली थाना के कोरणा गांव के निवासी माधुसिंह राजपुरोहित को पकड़ा। उसके पास मिली 8 किलो 330 ग्राम चांदी जब्त की गई। पूछताछ में उसके पास कोई वैध कागजात नहीं मिला। जिस पर एफएसटी को मौके पर बुलवाकर चांदी व व्यक्ति सुपुर्द किए गए। इसी तरह 3 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए नगदी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि मांगोलाई निवासी रहमतुल्ला के कब्जे से 50 हजार रुपए, जोधपुर के बावरली निवासी मोहम्मद खां के कब्जे से 67 हजार रुपए और जोधपुर के चौचलवा इस्लामनगर निवासी हैदर खां के कब्जे से 1 लाख रुपए बरामद किए गए। तीनों युवकों व नकदी को एफएसटी की सुपुर्द किया गया है और जांच की जा रही है।

# व्यापारी की कार में मिली 16.51 लाख की नगदी दस्तावेज भी नहीं मिले, इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी

अजमेर, (कासं)। अजमेर में विधानसभा चुनाव में अवैध मादक पदार्थ, कैश व अन्य वस्तुओं की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में बजरंगगढ़ चौहारे पर नाकाबंदी की गई। चैकिंग के वक्त एक कार से तलाशी में 16 लाख 51 हजार 20 रुपए जब्त किए गए।

पुलिस ने मामले की सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी, जिस पर इनकम टैक्स विभागने मंगलवार को रकम को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। कार में सवार व्यापारी थावरदास गुरनानी व दीपक गुरनानी कबंडसपुरा से वैशाली नगर स्थित घर जा रहे थे। पूछताछ में दोनों लोग रकम के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाए। सीओ उत्तर भोपालसिंह भाटी के सुपरविजन में कार्रवाई की गई। कोतवाली थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह

# 17 किलो डोडा-पोस्त बरामद

बीकानेर, (निसं)। महाजन स्थानीय पुलिस ने चुनाव आचार संहिता में बरती जा रही सख्ती के तहत सोमवार को राजमार्ग संख्या 62 पर अरजनसर नाके पर एक व्यक्ति के कब्जे से 17 किलो अवैध डोडा- पोस्त बरामद कर मुकदमा दर्ज किया है।

महाजन सीआई गणेश कुमार बिशोई ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर इधर उधर छिपने लगा। जिसे पकड़कर उसके पास मिले थैले की तलाशी ली तो उसमें 17 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम भादरा निवासी विष्णु बिशोई बताया। सीआई बिशोई ने बताया कि आरोपी डोडा-पोस्त अरजनसर में ली जा रही है। इस दौरान सौरभ राशि को भी जब्त किया जा रहा है। इस बीच पल्लू टोल नाका पर दो कारों की तलाशी में साढ़े चार लाख रुपए की संदिग्ध राशि जब्त की गई। इसमें एक में दो लाख और दूसरी गाड़ी में ढाई लाख रुपए बरामद हुए। पूछताछ में कार सवार राशि को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। यह दोनों कारें सरदारशहर की तरफ से हनुमानगढ़ आ रही थी। इस कार्रवाई में एफएसटी टीम, रावतसर सीओ, रावतसर सीआई अरुण

# कार से 5.62 लाख की संदिग्ध राशि बरामद

हुनुमानगढ़, (निसं)। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर सघन नाकाबंदी में एफएसटी के साथ मिलकर 5 लाख 62 हजार रुपए की संदिग्ध राशि जब्त की। एसपी डॉ. राजीव पचार ने बताया कि जिले में प्रतिदिन अलग-अलग स्थानों पर सघन नाकाबंदी कर जांच अभियान जारी है। अंतर्राज्यीय सीमा पर पुलिस की निगरानी बढ़ाने के साथ ही चारफांका वाहनों और बसों आदि पर निगरानी के साथ सघन तलाशी ली जा रही है। इस दौरान संदिग्ध राशि को भी जब्त किया जा रहा है। इस बीच पल्लू टोल नाका पर दो कारों की तलाशी में साढ़े चार लाख रुपए की संदिग्ध राशि जब्त की गई। इसमें एक में दो लाख और दूसरी गाड़ी में ढाई लाख रुपए बरामद हुए। पूछताछ में कार सवार राशि को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। यह दोनों कारें सरदारशहर की तरफ से हनुमानगढ़ आ रही थी। इस कार्रवाई में एफएसटी टीम, रावतसर सीओ, रावतसर सीआई अरुण

# चौधरी और पलू एसएचओ विजेंद्र शर्मा शामिल थे वहीं, पीलीबंगा पुलिस ने अमरपुरा फाटक के पास वाहनों की जांच में एक कार से एक लाख 12 हजार रुपए संदिग्ध राशि जब्त की। इस संबंध में चुनाव आयोग को सूचना दी गई है। इस कार्रवाई में सीओ अरुण कुमार, पीलीबंगा सीआई विक्रम चौहान व एफएसटी शामिल थे।

दूर में 23 किलो डोडा-पोस्त बरामद, एक गिरफ्तार :- निरदत्तवीर मौमाबाद थाने की पुलिस ने जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ों के पास कार्यवाही कर 23 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त व 235 ग्राम अफीम बरामद कर एक जने को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी कमलेश कुमार सैनी ने बताया कि, पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह मीणा के निर्देशानुसार अभियान चलाया जाकर डीएसटी टीम प्रभारी छाजुराम के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ बेचते हुए गाड़ों से केवल कुमार विनोद निवासी मजुओ की ढाणी को गिरफ्तार कर माल जब्त कर पूछताछ की जा रही है।